<u>**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 7, गाजियाबाद।**</u>

सत्र परीक्षण सं०–778/2014
राज्य.........प्रति...........सतपाल,
धारा–498A, 304B, 316, 201 भा०दं०सं०
व 3/4 डी पी एक्ट व धारा 302 भा०दं०सं०
थाना लोनी, गाजियाबाद।

<u>11–07–2025</u>

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी।

अभियुक्त सतपाल उपस्थित है।

अभियुक्ता शान्ति देवी अनुपस्थित है।

अभियुक्ता शान्ति देवी के विरूद्ध जारी समन पर उपनिरीक्षक सनन कुमार द्वारा आख्या दी गयी है कि अभियुक्ता के नाती मनोज से पूछा गया तो मनोज ने बताया कि मेरी दादी की मृत्यु 11–06–2025 को हो गयी है व अपनी दादी मा मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया गया जो संलग्न है। इसके अतिरक्त लाला पुत्र मंगूराम एवं हरीश पुत्र स्व०चमन लाल ने बताया कि वह शान्ति देवी को भलीभांति जानते है और वह हमारे पडौस मे रहती थी जिनकी मृत्यु करीब 1 माह पहले हो चुकी है।

न्यायालय मे साक्षी सी०डब्लू० 1 उपनिरीक्षक सनन कुमार का बयान अंकित किया गया, जिसमे उनके द्वारा स्वयं के द्वारा दी गयी जांच रिपोर्ट कागज सं० 83 क/2 को पुष्ट करते हुए अभियुक्ता की मुत्यु होना साबित की गयी है। अभियुक्ता शान्ति देवी का मृत्यु प्रमाणपत्र भी आख्या के साथ संलग्न है।

सी०डब्लू० 1 उपनिरीक्षक सचिन कुमार के बयान व दाखिल किए गए अन्य प्रपत्रो के आधार पर अभियुक्ता शान्ति देवी की मृत्यु होना साबित है। **अभियुक्ता शान्ति देवी के विरूद्ध सत्र परीक्षण की कार्यवाही उपशमित की जाती है।**

पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 17–07–2025 को पेश हो।

(**डॉ०दिनेश चन्द्र शुक्ला**)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 7,
गाजियाबाद।

Digitally signed by Dinesh Chandra Shukla
Date: 2025.07.11 16:29:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court